सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 570 राँची, शुक्रवार

16 श्रावण, 1937 (श०)

7 अगस्त, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई,2015

संख्या:- 8/नीति-02/2015 का॰ 6786 --झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम 16 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 2735 दिनांक 26 मार्च, 2015 द्वारा गठित विनियम में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:-

> ''सहायक ग्रेड की प्रवर सूची झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के ऐसे उच्च वर्गीय लिपिकों से गठित होगी, जो उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर न्यूनतम 10 वर्षो की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी कर लिये हों।''

2. उक्त विनियम की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के अंतर्गत निम्न कोटि के पद पर से उच्चतर कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए एकरूपता के दृष्टिकोण से ग्रेड पे आधारित न्यूनतम कालावधि विभागीय

संकल्प संख्या 3286 दिनांक 04 अप्रैल, 2014 द्वारा निर्धारित की गई है। उक्त संकल्प के अनुसार उच्च वर्गीय लिपिक कोटि (ग्रेड वेतन रू0 2400/-) से सहायक कोटि (ग्रे्रड वेतन रू0 4600/-) के पद पर प्रोन्नति के लिए 15 वर्षो की कालावधि होती है। इसी प्रावधान के आलोक में 15 वर्षो की निर्धारित कालावधि के आधार पर पूर्व में उच्च वर्गीय लिपिक कोटि से सहायक कोटि में प्रोन्नतियाँ प्रदान की जाती रही हैं। साथ ही झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा नियमावली, 2011 के नियम 10 (क) (प) में भी आशुलिपिक कोटि (ग्रेड वेतन रू0 2400/-) से निजी सहायक कोटि (ग्रेड वेतन रू0 4600/-) में प्रोन्नति हेतु 15 वर्षो की कालावधि विहित की गई है।

3. इस प्रकार उपर्युक्त कंडिका 1 में उद्धृत विभागीय अधिसूचना द्वारा गठित विनियम से राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवा/संवर्गो में प्रोन्नति हेतु कालावधि में एकरूपता का सिद्धांत विखंडित हुआ है। अतः उक्त विभागीय अधिसूचना द्वारा गठित विनियम को निरस्त करना आवश्यक हो गया है।

4. वर्णित परिप्रेक्ष्य में उच्च वर्गीय लिपिक कोटि से सहायक कोटि में प्रोन्नति हेतु गठित विनियम संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या 2735 दिनांक 26 मार्च, 2015 को निरस्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र दूबे,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 570—50 ।